



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263326
CG-DL-E-24052025-263326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2220]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2220]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

का.आ. 2274(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 926(E) तारीख 18.02.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.02.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में अगरतला-तुलामुरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्याम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : गोमती		राज्य : त्रिपुरा				
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कारबुक	पश्चिम एकछरी - 42	पश्चिम एकछरी - 42	1	00	03	40
			2	00	11	88
			3	00	00	81
			3/1091	00	00	26
			115	00	02	05
			5	00	03	50
			4	00	07	61
			19	00	19	60
			29	00	04	06
			31	00	08	33
			32	00	01	10
			33	00	17	33
			50	00	02	83
			35	00	11	33
			35/1093	00	01	79
			36	00	06	50
			42	00	10	48
			43	00	04	88
			61	00	00	21
			62	00	21	50
			63	00	15	63
			64	00	00	77
			96	00	02	58
			53	00	01	53

			47	00	00	66
			65	00	01	74
			49	00	11	57
			506	00	20	97
			506/1116	00	00	56
			506/1115	00	02	34
			78	00	08	12
			80	00	02	72
			79/1094	00	04	86
			685	01	36	20
			689/1246	00	03	98
			689	00	01	20
			683/1255	00	00	71
			684	00	02	18
			683	00	04	78
			670/1334	00	04	42
			674	00	00	20
			683/1254	00	00	42
			675	00	11	93
			676/1253	00	04	38
			676	00	00	93
			699/1267	00	33	38
			612/1305	00	00	77
			785/1289	00	00	69
			785/1397	00	05	85
			785	00	01	48
			785/1370	00	05	78
			785/1369	00	04	87
			785/1398	00	02	76
			782/1290	00	01	04
			782	00	14	45
			775	00	12	55
			781	00	00	20
			776/1376	00	01	80
			770	00	00	81
			769	00	03	55
			768	00	07	52
			767	00	02	07

			766/1393	00	08	01
			756	00	00	20
			756/1291	00	00	40
			757	00	00	98
			747/1065	00	01	87
			747/1281	00	06	16
			758	00	17	01
			760	00	00	71
			759/1276	00	00	98
			759/1374	00	22	22
			759	00	14	41
			1039	00	54	76
			1053	00	01	93
			1041	00	05	32
			1037	00	10	88
कारबुक	दक्षिण एकछरी नं 43	दक्षिण एकछरी नं 43	1404	00	58	26
			1405	00	01	96
			1420	00	06	57
			1421	00	01	89
			1419/1530	00	07	14
			1419	00	10	98
			1422	00	06	68
			1419/1531	00	03	70
			1531/2308	00	04	87
			1423	00	06	78
			1424	00	09	61
			1424/2280	00	03	46
			1425	00	05	16
			1425/1528	00	00	34
			1460	00	10	33
			1460/1535	00	01	03
			1416/1517	00	03	02
			1431	00	04	57
			1435/1519	00	13	04
			1432	00	14	02
			1462	00	06	29
			1433	00	01	87
			1435/1515	00	01	82

			1416/1517	00	06	38
			1434/1516	00	05	89
			1442	00	01	19
			1446	00	50	15
			1444	00	01	62
			1575	01	15	11
			1549	00	04	12
			1575/2166	00	01	64
			1568	01	06	09
			1566/1697	01	03	67
			1697/2173	00	00	27
			1566	00	00	20
			1630	00	04	94
			1665	00	00	50
			1697/2177	00	00	77
			1669	00	00	99
			1670	00	05	34
			1658	00	00	34
			1663	00	24	07
			1671	00	07	46
			1673/2295	00	00	20
			1673	00	01	90
			1673/1712	00	03	58
			1674	00	00	55
			1675	00	01	70

[फा. सं. एल-14014-2-2025-जीपी-II (ई - 51941)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2025

S.O. 2274(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 926(E) dated 18.02.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 20.02.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Agartala-Tulamura Gas Pipeline in the state of Tripura by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

Schedule

District : Gomati			State: Tripura			
Circle	Mauza	Village	Dag No.	Area		
				Hec.	Are	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karbook	Paschim Ekchhari No 42	Paschim Ekchhari No 42	1	00	03	40
			2	00	11	88
			3	00	00	81
			3/1091	00	00	26
			115	00	02	05
			5	00	03	50
			4	00	07	61
			19	00	19	60
			29	00	04	06
			31	00	08	33
			32	00	01	10
			33	00	17	33
			50	00	02	83
			35	00	11	33
			35/1093	00	01	79
			36	00	06	50
			42	00	10	48
			43	00	04	88
			61	00	00	21
			62	00	21	50
			63	00	15	63
			64	00	00	77
			96	00	02	58
			53	00	01	53
			47	00	00	66

			65	00	01	74
			49	00	11	57
			506	00	20	97
			506/1116	00	00	56
			506/1115	00	02	34
			78	00	08	12
			80	00	02	72
			79/1094	00	04	86
			685	01	36	20
			689/1246	00	03	98
			689	00	01	20
			683/1255	00	00	71
			684	00	02	18
			683	00	04	78
			670/1334	00	04	42
			674	00	00	20
			683/1254	00	00	42
			675	00	11	93
			676/1253	00	04	38
			676	00	00	93
			699/1267	00	33	38
			612/1305	00	00	77
			785/1289	00	00	69
			785/1397	00	05	85
			785	00	01	48
			785/1370	00	05	78
			785/1369	00	04	87
			785/1398	00	02	76
			782/1290	00	01	04
			782	00	14	45
			775	00	12	55
			781	00	00	20
			776/1376	00	01	80
			770	00	00	81
			769	00	03	55
			768	00	07	52
			767	00	02	07
			766/1393	00	08	01

			756	00	00	20
			756/1291	00	00	40
			757	00	00	98
			747/1065	00	01	87
			747/1281	00	06	16
			758	00	17	01
			760	00	00	71
			759/1276	00	00	98
			759/1374	00	22	22
			759	00	14	41
			1039	00	54	76
			1053	00	01	93
			1041	00	05	32
			1037	00	10	88
Karbook	DAKSHIN EKCHHARI NO. 43	DAKSHIN EKCHHARI NO. 43	1404	00	58	26
			1405	00	01	96
			1420	00	06	57
			1421	00	01	89
			1419/1530	00	07	14
			1419	00	10	98
			1422	00	06	68
			1419/1531	00	03	70
			1531/2308	00	04	87
			1423	00	06	78
			1424	00	09	61
			1424/2280	00	03	46
			1425	00	05	16
			1425/1528	00	00	34
			1460	00	10	33
			1460/1535	00	01	03
			1416/1517	00	03	02
			1431	00	04	57
			1435/1519	00	13	04
			1432	00	14	02
			1462	00	06	29
			1433	00	01	87
			1435/1515	00	01	82
			1416/1517	00	06	38

			1434/1516	00	05	89
			1442	00	01	19
			1446	00	50	15
			1444	00	01	62
			1575	01	15	11
			1549	00	04	12
			1575/2166	00	01	64
			1568	01	06	09
			1566/1697	01	03	67
			1697/2173	00	00	27
			1566	00	00	20
			1630	00	04	94
			1665	00	00	50
			1697/2177	00	00	77
			1669	00	00	99
			1670	00	05	34
			1658	00	00	34
			1663	00	24	07
			1671	00	07	46
			1673/2295	00	00	20
			1673	00	01	90
			1673/1712	00	03	58
			1674	00	00	55
			1675	00	01	70

[F. No. L-14014-2-2025-G P-II (E-51941)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.